"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 322] रायपुर, बुधवार, दिनांक 21 दिसम्बर 2005—अग्रहायण 30, शक 1927

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, दिनांक 21 दिसम्बर, 2005 (अग्रहायण 30, 1927)

क्रमांक- 14327/विधान/2005.—छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2005 (क्रमांक 22 सन् 2005), जो दिनांक 21 दिसम्बर, 2005 को पुरःस्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

देवेन्द्र वर्मा
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 22 सन् 2005)

दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2005

छत्तीसगढ़ राज्य को लागू होने के संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दण्ड प्रक्रिया संहिता (छत्तीसगढ़ संशोधन) अधिनियम, 2005 है.

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर होगा.

(3) यह ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा नियत करे.

छत्तीसगढ़ राज्य को लागू हुए रूप में केन्द्रीय अधिनियम (क्र. 2 सन् 1974) का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ राज्य को लागू हुए रूप में दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) को इसके पश्चात् उपबंधित रीति में संशोधित किया जाए.

धारा 167 का संशोधन.

3. (1) मूल अधिनियम की धारा 167 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) में शब्द "किसी" के स्थान पर शब्द "पुलिस" स्थापित किया जाए.

(2) मूल अधिनियम की धारा 167 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित नया खण्ड (ख ख) जोड़ा जाए, अर्थात् :-

"(ख ख) कोई मजिस्ट्रेट इस धारा के अधीन पुलिस अभिरक्षा से भिन्न अभियुक्त व्यक्ति को निरोध, तब तक प्राधिकृत नहीं करेगा जब तक अभियुक्त या तो व्यक्तिगत रूप से या इलेक्ट्रानिक विडियो लिंकेज के माध्यम से उसके समक्ष पेश नहीं किया जाता एवं उसके अधिवक्ता द्वारा न्यायालय में उसका प्रतिनिधित्व नहीं किया जाता."

(3) स्पष्टीकरण 2 में शब्द "पेश किया गया था" के पूर्व शब्द "पुलिस अभिरक्षा से" से जोड़ा जाए.

(4) स्पष्टीकरण 2 के पश्चात् निम्नलिखित नया स्पष्टीकरण जोड़ा जाए,-

"3. यदि यह प्रश्न उठता है कि क्या कोई अभियुक्त पुलिस अभिरक्षा से भिन्न व्यक्तिगत रूप से या इलेक्ट्रानिक विडियो लिंकेज के माध्यम से किसी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया था जैसे कि पैरा "(ख ख)" के अधीन अपेक्षित है तो अभियुक्त व्यक्ति की पेशी को निरोध प्राधिकृत करने वाले आदेश पर उसके या उसके अधिवक्ता के हस्ताक्षर से सिद्ध किया जा सकता है."

धारा 228 का संशोधन.

4. मूल अधिनियम की धारा 228 की उपधारा (2) में शब्द "अभियुक्त को" के पश्चात् निम्नलिखित शब्द जोड़ा जाए, अर्थात् :-

"व्यक्तिगत रूप से या इलेक्ट्रानिक विडियो लिंकेज के माध्यम से उपस्थित होने एवं उसके अधिवक्ता द्वारा न्यायालय में प्रतिनिधित्व किये जाने पर"

5. मूल अधिनियम की धारा 240 की उपधारा (2) में शब्द "अभियुक्त को" के पश्चात् निम्नलिखित शब्द जोड़ा जाए, अर्थात् :- धारा 240 का संशोधन.

"न्यायालय में उसके अधिवक्ता की उपस्थिति में व्यक्तिगत रूप से या इलेक्ट्रानिक विडियो लिंकेज के माध्यम से उपस्थित होने पर"

6. मूल अधिनियम की धारा 251 में शब्द "अभियुक्त मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होता है या लाया जाता है" के बाद निम्नलिखित शब्द जोड़ा जाए, अर्थात् :- धारा 251 का संशोधन.

"या न्यायालय में उसके अधिवक्ता की उपस्थिति में इलेक्ट्रानिक विडियो लिंकेज के माध्यम से उपस्थित होता है"

उद्देश्य और कारणों का कथन

छत्तीसगढ़ शासन ने छत्तीसगढ़ की जेलों तथा न्यायालयों में वीडियो कान्फ्रेसिंग सिस्टम स्थापित करने का निर्णय लिया है, वीडियो कान्फ्रेसिंग सिस्टम स्थापित करने से विचाराधीन बंदियों को न्यायालय में उपस्थित कराने हेतु पुलिस बल की कमी संबंधी समस्या एवं कुछ हद तक फरारी की कमी संबंधी समस्या भी सुलझ सकेगी. इस प्रयोजन हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 167 (2), 228, 240 एवं 251 में विधेयक, 2005 प्रख्यापित कर संशोधन किया जाना प्रस्तावित है.

2. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर

तारीख 15 दिसम्बर, 2005

बृजमोहन अग्रवाल
विधि एवं विधायी कार्य मंत्री
(भारसाधक सदस्य)

वित्तीय ज्ञापन

इस विधेयक के खण्ड 2 एवं 3 में प्रस्तावित प्रावधान किये जाने के फलस्वरूप राज्य शासन पर प्रतिवर्ष अनुमानतः रायपुर मुख्यालय के न्यायालयों के लिए रुपये 5,44,000/- का अनावर्ती एवं रुपये 22,00,000/- का आवर्ती व्यय कुल 27,44,000/- (रुपये सत्ताइस लाख चवालीस हजार) मात्र प्रति जिला मुख्यालय वित्तीय भार आयेगा.

"संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित"

उपाबंध

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का सं. 2)

* *

167 - जब चौबीस घण्टे के अन्दर अन्वेषण पूरा न किया जा सके तब प्रक्रिया - (1) जब कभी कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है और अभिरक्षा में निरुद्ध है और यह प्रतीत हो कि अन्वेषण धारा 57 द्वारा नियत चौबीस घण्टे की अवधि के अन्दर पूरा नहीं किया जा सकता और यह विश्वास करने के लिए आधार है कि अभियोग या इत्तिला दृढ़ आधार पर है तब पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी या यदि अन्वेषण करने वाला पुलिस अधिकारी उप-निरीक्षक से निम्नतर पंक्ति का नहीं है तो वह, निकटतम न्यायिक मजिस्ट्रेट को इसमें इसके पश्चात् विहित डायरी की मामले से सम्बन्धित प्रविष्टियों की एक प्रतिलिपि भेजेगा और साथ ही अभियुक्त व्यक्ति को भी उस मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा.

(2) वह मजिस्ट्रेट जिसके पास अभियुक्त व्यक्ति इस धारा के अधीन भेजा जाता है, चाहे उस मामले के विचारण की उसे अधिकारिता हो या न हो, अभियुक्त का ऐसी अभिरक्षा में, जैसी वह मजिस्ट्रेट ठीक समझे, इतनी अवधि के लिए, जो कुल मिलाकर पन्द्रह दिन से अधिक न होगी, निरुद्ध किया जाना समय-समय पर प्राधिकृत कर सकता है तथा यदि उसे मामले के विचारण की या विचारण के लिए सुपुर्द करने की अधिकारिता नहीं है और अधिक निरुद्ध रखना उसके विचार में अनावश्यक है तो वह अभियुक्त को ऐसे मजिस्ट्रेट के पास, जिसे ऐसी अधिकारिता है, भिजवाने के लिए आदेश दे सकता है :

परन्तु-

(क) मजिस्ट्रेट, अभियुक्त व्यक्ति का पुलिस अभिरक्षा से अन्यथा विरोध, पन्द्रह दिन की अवधि से आगे के लिए, उस दशा में प्राधिकृत कर सकता है जिसमें उसका समाधान हो जाता है, कि ऐसा करने के लिए पर्याप्त आधार है ; किन्तु कोई भी मजिस्ट्रेट अभियुक्त व्यक्ति का इस धारा के अधीन अभिरक्षा में निरोध-

(i) नब्बे दिन से अधिक अवधि के लिए, प्राधिकृत नहीं करेगा जहां अन्वेषण ऐसे अपराध के सम्बन्ध में है जो मृत्युदण्ड, आजीवन कारावास अथवा दस वर्ष से अधिक अवधि के कारावास से दण्डनीय अपराध से सम्बन्धित है;

(ii) साठ दिन से अधिक अवधि के लिए, अधिकृत नहीं करेगा जहां अन्वेषण अन्य मामलों से सम्बन्धित है;

नब्बे दिन अथवा साठ दिन की कथित अवधि की समाप्ति पर यदि अभियुक्त व्यक्ति जमानत देने के लिए तैयार है और दे देता है तो उसे जमानत पर छोड़ दिया जाएगा, और यह समझा जायेगा कि इस उपधारा के अधीन जमानत पर छोड़ा गया प्रत्येक व्यक्ति अध्याय 33 के प्रयोजन के लिए उस अध्याय के उपबन्धों के अधीन छोड़ा गया है,

(ख) कोई मजिस्ट्रेट इस धारा के अधीन किसी अभिरक्षा में निरोध तब तक प्राधिकृत नहीं करेगा जब तक अभियुक्त उसके समक्ष पेश नहीं किया जाता है;

(ग) कोई द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट, जो उच्च न्यायालय द्वारा इस निमित्त विशेषतया सशक्त नहीं किया गया है, पुलिस की अभिरक्षा में निरोध प्राधिकृत न करेगा.

स्पष्टीकरण 1 - शंकाएं दूर करने के लिए इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि पैरा (क) में विनिर्दिष्ट अवधि समाप्त हो जाने पर भी अभियुक्त व्यक्ति तब तक अभिरक्षा में निरुद्ध रखा जायेगा जब तक कि वह जमानत नहीं दे देता है.

स्पष्टीकरण 2 - यदि यह प्रश्न उठता है कि क्या कोई अभियुक्त व्यक्ति मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया था जैसा कि पैरा (ख) के अधीन अपेक्षित है, तो अभियुक्त व्यक्ति की पेशी को निरोध प्राधिकृत करने वाले आदेश पर उसके हस्ताक्षर से साबित किया जा सकता है.

(2-क) उपधारा (1) या उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी, पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी या अन्वेषण करने वाला पुलिस अधिकारी, यदि वह उपनिरीक्षक के पद से कम का न हो तो, जहां न्यायिक मजिस्ट्रेट न मिल सकता हो वहीं कार्यपालक मजिस्ट्रेट को जिसे न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदान की गई है, ऐसी दैनिकी में प्रविष्टि की प्रतिलिपि जो एतद्पश्चात् मामले के सम्बन्ध में विहित है, भेजेगा

तथा साथ ही अभियुक्त को ऐसे कार्यपालक मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा और तब कार्यपालक मजिस्ट्रेट अभिलिखित कारणों से अभियुक्त व्यक्ति का निरोध ऐसी अभिरक्षा में किये जाने के लिए कुल मिलाकर सात दिन से अनधिक अवधि के लिए प्राधिकृत करेगा जैसा वह उचित समझे ; और इस प्रकार प्राधिकृत निरोध की अवधि की समाप्ति पर ऐसी स्थिति के सिवाय जहां अभियुक्त का और भी निरोध किये जाने के लिए आदेश ऐसे मजिस्ट्रेट द्वारा पारित किया गया है जो ऐसा आदेश देने के लिए सक्षम है ; अभियुक्त जमानत पर छोड़ दिया जायेगा ; और जहां और भी निरोध करने के लिये आदेश पारित किया गया है तो वह अवधि जिसमें अभियुक्त व्यक्ति इस उपधारा के अधीन कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा किये गये आदेश के अन्तर्गत अभिरक्षा में निरुद्ध था, उपधारा (2) के पैरा (क) में निर्धारित अवधि की गणना करने में हिसाब में ले ली जायेगी :

परन्तु पूर्वकथित अवधि की समाप्ति के पहले, कार्यपालक मजिस्ट्रेट निकटतम न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास मामले का अभिलेख मामले से सम्बन्धित उस दैनिकी में की गयी प्रविष्टियों को प्रतिलिपि सहित जिसे पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी अथवा अन्वेषण करने वाले पुलिस पदाधिकारी द्वारा, यथास्थिति, उसके पास भेजी गयी थी, प्रेषित करेगा.

(3) इस धारा के अधीन पुलिस अभिरक्षा में निरोध प्राधिकृत करने वाला मजिस्ट्रेट ऐसा करने के अपने कारण अभिलिखित करेगा.

(4) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से भिन्न कोई मजिस्ट्रेट जो ऐसा आदेश दे अपने आदेश की एक प्रतिलिपि आदेश देने के अपने कारणों के सहित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को भेजेगा.

(5) यदि समन मामले के रूप में मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय किसी मामले में अन्वेषण अभियुक्त के गिरफ्तार किए जाने की तारीख से छः मास की अवधि के भीतर समाप्त नहीं होता है तो मजिस्ट्रेट अपराध में आगे और अन्वेषण को रोकने के लिए आदेश करेगा जब तक अन्वेषण करने वाला अधिकारी मजिस्ट्रेट का समाधान नहीं कर देता है कि विविध कारणों से और न्याय के हित में छः मास की अवधि के आगे अन्वेषण जारी रखना आवश्यक है.

(6) जहां उपधारा (5) के अधीन किसी अपराध का आगे और अन्वेषण रोकने के लिए आदेश दिया गया है वहां यदि सेशन न्यायधीश का उसे आवेदन दिये जाने पर या अन्यथा, समाधान हो जाता है कि उस अपराध का आगे और अन्वेषण किया जाना चाहिए तो वह उपधारा (5) के अधीन किये गये आदेश को रद्द कर सकता है और यह निर्देश दे सकता है कि जमानत और अन्य मामलों के बारे में ऐसे निर्देशों के अधीन रहते हुए जो वह विनिर्दिष्ट करे, अपराध का आगे और अन्वेषण किया जाये.

धारा 167 का संशोधन विचाराधीन अन्वेषण को लागू होगा- मूल अधिनियम की धारा 167 के उपबन्ध जैसे कि उस अधिनियम द्वारा संशोधित किये गये हैं, ऐसे प्रत्येक अन्वेषण के लिए लागू होंगे जो इस अधिनियम के प्रारंभ के अव्यवहित पूर्व विचाराधीन था, यदि अभियुक्त व्यक्ति के निरोध की अवधि ऐसे प्रारम्भ पर पुलिस अभिरक्षा के सिवाय साठ दिन से अधिक हो गयी है.

* *

228. **आरोप विरचित करना** (1) यदि पूर्वोक्त रूप से विचार, और सुनवाई के पश्चात् न्यायाधीश की यह राय है कि ऐसी उपधारणा करने का आधार है कि अभियुक्त ने ऐसा अपराध किया है, जो-

(क) अनन्यतः सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय नहीं है, तो वह अभियुक्त के विरुद्ध आरोप विरचित कर सकता है और आदेश द्वारा, मामले को विचारण के लिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को अन्तरित कर सकता है और तब मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उस मामले का विचारण पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित वारण्ट मामलों के विचारण के लिए प्रक्रिया के अनुसार करेगा ;

(ख) अनन्यतः उस न्यायालय द्वारा विचारणीय है, तो वह अभियुक्त के विरुद्ध आरोप लिखित रूप में विरचित करेगा.

(2) जहां न्यायाधीश उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन कोई आरोप विरचित करता है, वहां वह आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया और समझाया जाएगा और अभियुक्त से यह पूछा जाएगा कि क्या वह उस अपराध का, जिसका आरोप लगाया गया है, दोषी होने का अभिवचन करता है या विचारण किए जाने का दावा करता है.

* *

240. **आरोप विरचित करना** - (1) यदि ऐसे विचार, परीक्षा, यदि कोई हो, और सुनवाई कर लेने पर मजिस्ट्रेट की यह राय है कि ऐसी उपधारणा करने का आधार है कि अभियुक्त ने इस अध्याय के अधीन विचारणीय ऐसा अपराध किया है, जिसका विचारण करने के लिए वह मजिस्ट्रेट सक्षम है और जो उसकी राय में उसके द्वारा पर्याप्त रूप से दण्डित किया जा सकता है, तो वह अभियुक्त के विरुद्ध आरोप लिखित रूप में विरचित करेगा.

(2) तब वह आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया और समझाया जाएगा और उससे यह पूछा जाएगा कि क्या वह उस अपराध का, जिसका आरोप लगाया गया है, दोषी होने का अभिवाक् करता है या विचारण किए जाने का दावा करता है.

* *

251. **अभियोग का सारांश बताया जाना**- जब समन-मामले में अभियुक्त मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होता है या लाया जाता है, तब उसे उस अपराध की विशिष्टयां बताई जाएंगी, जिसका उस पर अभियोग है, और उससे पूछा जाएगा कि वह दोषी होने का अभिवाक् करता है अथवा प्रतिरक्षा करना चाहता है ; किन्तु यथा रीति आरोप विरचित करना आवश्यक न होगा.

* *

देवेन्द्र वर्मा
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2006.